मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण सम्भल स्थित चन्दौसी।

पत्र संख्याः 99 /नियुक्ति/मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण/2026 दिनांकः 05.03.2026

::विज्ञप्ति::

मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण सम्भल स्थित चन्दौसी में सहायक लेखाकार के पद के लिए उ0प्र0 शासन द्वारा पूर्णकालिक स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति से पद भरे जाने तक के लिये उ0 प्र0 शासन के शासनादेश संख्या 676/तीस–3–2019 परिवहन अनुभाग–3 लखनऊ दिनांक 09.03.2019, शासनादेश संख्या 1324/तीस–3–2019 परिवहन अनुभाग–3 लखनऊ दिनांक 26.07.2019 एवं व उ0 प्र0 शासन के शासनादेश संख्या एम0 ए0सी0टी0–73/30–3–2020 परिवहन अनुभाग–3 लखनऊ दिनांक 25.02.2020 के प्रकाश में मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण सम्भल स्थित चन्दौसी में विभिन्न शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अन्तर्गत सेवा निवृत्त सहायक लेखाकार की पुनर्नियुक्ति की जानी है जिस हेतु शासन/न्यायालय से सेवा निवृत्त कर्मियों से आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं। पद का विवरण निम्नवत् हैः–

पद का नाम	पद की संख्या	नियोजन की प्रकृति
सहायक लेखाकार	01पद	सेवा निवृत्त कर्मचारियों से संविदा के आधार पर।

इच्छुक एवं अर्ह अभ्यर्थी निर्धारित प्रारूप पर अपना आवेदन पत्र दिनांक 23.03.2026 तक कार्यालय मोटर दुर्घटना अधिकरण, पावर हाउस कालौनी, चन्दौसी पर पंजीकृत डाक द्वारा प्रेषित कर सकते हैं या स्वयं कार्यालय के आशुलिपिक को प्राप्त करा सकते हैं। दिनांक 23.03.2026 को सायंकाल 5.00 बजे के पश्चात् कोई प्रार्थना पत्र स्वीकार नहीं किया जायेगा।

नियुक्ति के सम्बन्ध में अनिवार्य शर्ते व विवरण निम्नवत् हैः–

1. सहायक लेखाकार के पद पर नियोजित कर्मचारी की संविदा के आधार पर नियुक्ति की जायेगी। संविदा कर्मचारी को उपरोक्त शासनादेशों के क्रम में अंतिम आहरित वेतन में से शुद्ध पेंशन की धनराशि (राशिकरण के पूर्व यदि कोई हो) को घटाने पर प्राप्त होने वाली राशि के बराबर वेतन देय होगा। अतएव् आवेदक सेवा निवृत्त कर्मी अपने आवेदन–पत्र के साथ पेंशन प्राधिकार–पत्र/पी0पी0ओ0 की स्वहस्ताक्षरित छाया प्रति संलग्न करेंगे।
2. आवेदन करने वाले अभ्यर्थी को लेखा कार्य का कम्प्यूट्रीकृत ज्ञान होना आवश्यक है। न्यायालय से सेवा निवृत्त कर्मी को प्राथमिकता दी जायेगी।
3. यह पुनर्नियुक्ति, सेवानिवत्त कर्मी के पूर्व कार्यवृत्त अभिलेख एवं चरित्र–पंजिका में अंकित वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि व व्यक्तिगत साक्षात्कार में उपयुक्तता एवं वरीयता के आधार पर की जायेगी। सेवानिवृत्त आवेदक/सेवानिवृत्त कर्मी अपने आवेदन–पत्र के साथ पूर्ववर्ती 05 वर्षो में चरित्र पंजिका में अंकित वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि की स्वहस्ताक्षरित छाया प्रति संलग्न करेंगे।
4. इस पुनर्नियुक्ति हेतु सेवा निवृत्त कर्मी अपने आवेदन पत्र के साथ इस आशय का नोटरी शपथ–पत्र कि उनके विरूद्ध किसी न्यायालय में कोई आपराधिक वाद लम्बित नहीं है और न ही कभी उन्हें किसी आपराधिक मामले में दण्डित किया गया है, संलग्न करेंगे।
5. आवेदक की आयु 65 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।
6. उपरोक्त शासनादेश मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण सम्भल स्थित चन्दौसी के लेखाकार के पास इच्छुक अभ्यर्थियों को अवलोकनार्थ उपलबध हैं।
7. आवदेक अपने मूल परिपत्रों सहित व्यक्तिगत साक्षात्कार हेतु दिनांक 24.03.2026 को सायं 04 बजे समिति के समक्ष मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण सम्भल स्थित चन्दौसी के विश्राम कक्ष में उपस्थित होंगे।

इस विज्ञप्ति को सूचनार्थ जिला न्यायालय सम्भल स्थित चन्दौसी एवं मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण सम्भल स्थित चन्दौसी के सूचना पट पर प्रदर्शित किया जाये।

05.3.2026

दिनांकः 05.03.2026
स्थान–चन्दौसी।

(प्रदीप कुमार-V)
पीठासीन अधिकारी
नियुक्ति प्राधिकारी/मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण सम्भल स्थित चन्दौसी।

Scanned with OKEN Scanner

मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण सम्भल स्थित चन्दौसी।

पृष्ठांकन सं0: 99 /नियुक्ति/मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण/2026 दिनांकित।

प्रतिलिपि—

1.नोडल अधिकारी, कम्प्यूटर, जजशिप, सम्भल स्थित चन्दौसी को जनपद न्यायालय सम्भल स्थित चन्दौसी की अधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।

2— जिला सूचना अधिकारी जनपद सम्भल को दैनिक समाचार पत्रों में निशुल्क प्रकाशित कराने हेतु प्रेषित।

3— सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन), सम्भल, सचिव/संयोजक, जिला स्तरीय चयन समिति जनपद—सम्भल को सूचनार्थ एवं आ0का0 हेतु प्रेषित।

05-3-2026

दिनांकः 05.03.2026

स्थान—चन्दौसी।

(प्रदीप कुमार-V)

पीठासीन अधिकारी

नियुक्ति प्राधिकारी/मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण सम्भल स्थित चन्दौसी।

Scanned with OKEN Scanner